संख्या-89/2021/2390ई-2/तेरह-2021-221708

प्रेषक,

**उमेश कुमार तिवारी,**

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**आबकारी आयुक्त,**

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः:दिनांक 17 दिसम्बर,2021

**विषय- मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि., गांगनौली आसवनी, जनपद सहारनपुर को बी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किए जाने के कारण अधिष्ठापित क्षमता में अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।**

---

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी77/दो-प्रा.डी.-103, दिनांक 01-12-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01-12-2021 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि., गांगनौली आसवनी, जनपद सहारनपुर को स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 560 लाख लीटर वार्षिक के अतिरिक्त अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत अर्थात 140 लाख ब.ली. अल्कोहल का उत्पादन बी-हैवी शीरे से किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सम्बन्धित समस्त आवश्यक पर्यावरणीय व अन्य सांविधिक शर्तें।

(3) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कन्सेन्ट आर्डर दिनांक 10-07-2021 द्वारा निर्गत जल सहमति एवं कन्सेन्ट आर्डर दिनांक 10-07-2021 द्वारा निर्गत वायु सहमति में उल्लिखित शर्तें।

(4) आसवक द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता पर नियमानुसार तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा किया जायेगा तथा आसवनी में बी-हैवी शीरे के उपभोग के समाप्त होने पर सी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(उमेश कुमार तिवारी)**
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।